# प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
# एवं जिला कलक्टर उदयपुर
## निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 112 / 2024 (अपील सूचना का अधिकार)

Kamlesh Kumar Gandhi Add. 18C Rata khet cololy, mullatalai, Girwa, Udaipur

..............अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, उदयपुर

..................प्रत्यर्थी

## प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

## निर्णय

दिनांक: 18-9-24

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329412873624637 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 20.03.2024 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 3620362540 दिनांक 22.08.2024 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/112/24/993–94 दिनांक 22.08.2024 से लिखा गया। जिसकी पालना में प्रत्यर्थी द्वारा जरिये पत्र कमांक प.41/2/लो.सू.अ./प्रा.प.सं./112/2024/821–823 दिनांक 29.08.2024 से प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग,. कार्यालय हाजा को अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक से सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर उदयपुर द्वारा प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग को जरिये पत्रांक 821–823 दिनांक 29.08.2024 से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी गई हो पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही वांछित सूचना नियमानुसार निशुल्क 21 दिवस के भीतर अपीलार्थी को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
**प्रथम अपील अधिकारी,**
**सूचना का अधिकार अधि.**
**एवं जिला कलक्टर, उदयपुर**